फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. 65/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी पटवार हल्का गुडावड़ी द्वारा केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गुडावड़ी की जमाबन्दी संवत 2075–78 खाता खंख्या 01 में जमाबंदी सम्वत् 2017–74 से जमाबंदी से सम्वत् 2015–78 बनाते समय भुलवंश कम्पूटर से खसरा नं 550 रकबा 0. 2529 तथा खसरा नं. 2122/1900 रकबा 0.5229 को सिवाय चक नाकाबिल काश्त के बजाय सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज हो गया है। अतः उपरोक्त खसरे को सिवाय चक नाकाबिल काश्त दर्ज करने का आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का गुंडावड़ी भु अभिलेख नि. सालासर वह उप तहसीलदार सालासर ने उपरोक्त खसरों को सिवाय चक नाकाबिल काश्त को दुरूस्त करने कि अनुशंषा की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक सालासर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में नया खाता संख्या 01 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. सं.	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	गुडावड़ी	**500** **2122/1900**	**सिवाय चक काबिल काश्त**	**सिवाय चक नाकाबिल काश्त**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में भुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

23.07.19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ